



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या757/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान - मैसर्स के.किंग ऑफ ज्वैल्स, सी-स्कीम, जयपुर बनाम् 1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर। 2. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/08/2017	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप झंवर एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री जमील जई उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित कर राशि रूपये 40,96,251/-, ब्याज राशि रूपये 35,23,247/- एवं शास्ति राशि रूपये 81,92,502/- कुल मांग राशि रूपये 1,58,12,000/- में से राशि रूपये 1,54,02,375/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में किसी प्रकार के कारण का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने माल की डिलेवरी राज्य के भीतर ही की है, इस कारण उन पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अतः मांग राशि के संबंध में प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित वसूली योग्य मांग राशि 1,54,02,375/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में किसी प्रकार के कारण का उल्लेख नहीं किया है। अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक ने बताया कि उन्होंने माल की डिलेवरी राज्य के भीतर की है, किन्तु क्रेता व्यापारी के बयानों के आधार पर उसकी बिक्री को अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री मानकर करारोपण किया है, जो उचित नहीं है।</p>	

उनवान -

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/08/2017	<p style="text-align: center;">- 2 -</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के कथन पर और किया गया, प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन आंशिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य शास्ति राशि रूपये 81,92,502/- की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। कर व ब्याज की वसूली को यथावत रखा जाता है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (मदनलाल मालवीय) सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  (नित्थूराम) सदस्य </p>	